

2014/00119

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
आज्ञा - पत्र

उनवान

..... मांगी काल बनाम देव लाल

किस्म मुकद्दमा कांश 223 मि. नं. सन्

अभिभाषक अपीलान्त श्री नरेंद्र सिंह अभिभाषक रैस्पॉन्डेंट

..... श्री नरेंद्र सिंह 112255

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

10.3.2021	<p>पत्रावली कोर्ट केम्प कोश पेश हुई/मार्गदर्शक अपीलान्त अनुपस्थित है/ बार-बार फेर फेर कर करके लगावारी गई लेकिन कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ/अन्त पत्रावली अदम जारी एवं अदम पेशी में रजिस्ट्रार की पत्रावली/पत्रावली फंजाय कुमार डीकर बाद नामील इकमील दाखिल दफ्तर है।</p>	
-----------	--	--



(महेन्द्र लोका)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

8-10-2014



श्री नरपत सिंह राजपुत्र
पत्रकारों की सेवा शिपोर
पंजी

RAADOLAR
20.8.2014

कोटा, केम्प
न्यायालय राजस्व अमील प्राधिकारी महोदय, बारां जिला बारां

११ मांगी लाल पुत्रश्री प्रताप

१२ मोती लाल पुत्रश्री प्रताप

१३ बलराम मृतक कायममुकामान

3/1 नंदसिंह पुत्रश्री बलराम

3/2 मन्नी बाईका बलराम

जाति गूजर निवासीगण मोतीपूरा छुर्द
तहसील षीपाबडी जिला बारांराज

—अमीलान्त

-बनाम-

११ देव लाल पुत्रश्री मन्ना लाल

१२ उदा लाल पुत्रश्री मन्ना लाल मृतक कायममुकामान

2/1 देवकरण पुत्रश्री उदा लाल

2/2 मुकलेखा पुत्री उदा लाल

2/3 द्वारका बाई पुत्री उदा लाल

2/4 माना बाई पुत्री उदालाल

2/5 ललता बाई पुत्री उदालाल

2/6 ममता बाई पुत्री उदा लाल

2/7 प्रेमबाई बेवा श्री उदा लाल

१३ कालू लाल पुत्रश्री मधुरालाल

१४ शिव लाल पुत्रश्री मधुरालाल

१५ राधेश्याम पुत्रश्री मधुरालाल

दि. 10/10/14

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा केम्प बारा
मांगी लाल वगेराह -बनाम- देव लाल वगेराह
॥ 2 ॥

॥ 6 ॥ प्रेम बाई पुत्री मधुरालाल

॥ जाति गूजर निवासीगण मोतीपरा

॥ 7 ॥ छोटी बाईपुत्री मधुरालाल

॥ छार्द तह0 छीपाबडोदजिला बारा

॥ 8 ॥ कंवरी बेवाश्री मधुरालाल

॥ 9 ॥ राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब छीपाबडोद जिलाबारा

अपील बनाराजगी आदेश न्यायालय उप जिला क्लेक्टर

छीपाबडोद बदनवान मुकदमा मन्नालाल बनाम

कालू लाल वगेराह , केस नं0 64/09 एवं 78/09

निर्णय दिनांक 13.3.2012 /

मान्यवर,
अपीलान्ट निम्न निवेदन करते है कि :-

॥ 1 ॥- यह कि अधिनास्था न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है ॥

॥ 2 ॥- यह कि अधिनास्था न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिफ्री मे खासरा नं0 9 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा आराजियात के सम्बन्धमे अपने निर्णय व डिफ्री मे विभाजन मे दिशाओ का उल्लेख न करने से एक नया विवाद पैमाईश करने वाली द्वारा पैदा कर दिया गया है ।

अपील के साथ संलग्न नक्शो मे खासरा नं0 9 की पैमाईश कर हिस्से तय किये है वह गलत तरीके से तय कियेण्डे अपीलान्ट को नं0 3 हिस्से पर दश कर जो आराजियात दी गयी है वह बिल्कुल नकारा है। तथा इस प्रकार से पैमाईश करने का आदेश अधिनास्था न्यायालय द्वारा द्वारा अपने

18